फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण

आशाराम पुत्र सोनाराम | कानाराम पुत्र मोटाराम नायक

जाति-नायक निवासी-गुडाबीजा | निवासी-लाडपुरा

किस्म मुकदमा:– राजस्व विविध प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट. 1955 मु0न0 194/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
15/10/24	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्राथीगण ने राजस्व प्रा. पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 20/11/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	
20/11/24	अधि प्रार्थी उप/ अप्रार्थीगण की जाबिता की तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। तामिल होकर अप्रार्थी नं. 1 व 2 की ओर से अधि. श्री भगीरथ राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की तामिली रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट प्रस्तुत किया, प्रति अधि प्रार्थी को दिलवाकर पत्रावली बाबते प्रारम्भिक बहस प्रकोपत्र हेतु अगला दिनांक 3/12/24 को पेश हो। S.D.O. Sojat	
3/12/24	बहसबाबत प्रा0/ अधिप्रार्थी मय प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र वास्ते विड्रॉल का पेश करने से पत्रावली पेशी में गिरफ्त आज पेश हुई। अधिप्रार्थी ने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की मार्फत से राजीनामा हो गया है। अतः प्रा0पत्र को विड्रॉल फरमाया जावे। अतः अधिप्रार्थी मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विड्रॉल प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रस्तुत राजिनामा पत्र के विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तामिल तरमिम दाखिल दफ्तर हो। S.D.O. Sojat	आशाराम पोटाराम